न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 189/2015

सुखमन्द्र सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

महेन्द्रसिंह पुत्र सुच्चासिंह जाति मजहबी सिख निवासी 13 एफ बडा गुरू की ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। —रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 30.06.2015

उपस्थित—

श्री हंसराज तनेजा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय दिनांक 19.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/प्रार्थी/रेस्पों. ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज. काश्त.अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि चक 13 एफ बडा के मु.नं. 28 के कि.नं. 3 की भूमि वादी की खातेदारी है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य हैं एवं अप्रार्थी सवर्ण जाति का सदस्य है। अप्रार्थी उक्त भूमि पर कब्जा करने की कोशिश में है। यदि ऐसा करने में वह सफल हो गया तो प्रार्थी को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः निवेदन है कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थी के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें एवं जबरन बेदखल नहीं करें।

19/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि कि.नं. 3 की 33 गुणा 79 फुट भूमि अप्रार्थी की खरीदशुदा भूमि है एवं कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 30.06.2015 को प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि में आबादी हो चुकी है। विवादित भूमि अपीलांट को विक्रय की हुई है। प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था। अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रा.पत्र स्वीकार किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में अपीलाधीन आदेश को उचित बताया और अपील खारिज करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस तथ्य बाबत कोई विवाद नहीं है कि अपीलांट सवर्ण जाति का सदस्य है एवं रेस्पों. अनुसूचित जाति का सदस्य है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि जरिये इकरारनामा क्रय किया जाना बताया है। इकरारनामे से क्या हक व अधिकार प्राप्त होने है, इसका निर्णय तो मूल वाद में तय होगा। अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में विस्तृत विवेचन करते हुए प्रार्थी/रेस्पों. का प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए विवादित भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के जो आदेश दिये हैं उसमें हमारे विचार से कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/2/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर